

COMMITTEE ON LABOUR AND WELFARE

Thirty Fourth to Thirty Sixth Reports and Statements

Title: Regarding presentation of the 34<sup>th</sup>, 35<sup>th</sup> and 36<sup>th</sup> reports on actions taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 32<sup>nd</sup>, 30<sup>th</sup> and 31<sup>st</sup> report and of the Standing Committee on Labour and Welfare on Demands for Grants (2003-2004) of Ministry of Labour, Ministry of Social Justice and Empowerment and the Ministry of Tribal Affairs; 37<sup>th</sup> Report on the "The Emigration (Amendment) Bill, 2002" and also laying on the Table of the House one copy each on the statements showing further action taken by the Government on the recommendations/observations contained in 24<sup>th</sup>, 25<sup>th</sup> and 26<sup>th</sup> Reports of the Standing Committee on Labour nad Welfare on the recommendations contained in 21<sup>st</sup>, 19<sup>th</sup> and 20<sup>th</sup> Reports.

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : महोदय, मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :--.

(क) श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) :--

1. श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विद सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 34वां प्रतिवेदन।
2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विद सिफारिशों/टिप्पणियों पर समिति (2002) (13वीं लोक सभा) के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विद सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 35वां प्रतिवेदन।
3. जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के बारे में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विद सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 36वां प्रतिवेदन।
4. " उत्प्रवास (संशोधन) विधेयक, 2002" के संबंध में सैतीसवां प्रतिवेदन और ;

(ख) श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) :--

1. श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2002-2003 के संबंध में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विद सिफारिशों/टिप्पणियों पर समिति (2002) (13वीं लोक सभा) के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विद सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।
2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2002-2003) के संबंध में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विद सिफारिशों/ टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2002-2003) के संबंध में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन (13 वीं लोक सभा) में अंतर्विद सिफारिशों/टिप्पणियों पर समिति (2002) (13वीं लोक सभा) के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विद सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, पहले हमारी बात सुन ली जाए। वेद(व्यवधान)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल (हमीरपुर, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में जो बालिकाएं स्कूलों में पढ़ने जाती हैं, उनका यौन शोण हो रहा है। उनको लालच देकर बड़े-बड़े अधिकारियों के सामने परोसा जाता है। यह केवल उत्तर प्रदेश का ही मामला नहीं है, पूरे देश में महिलाओं और लड़कियों का यही हाल हो रहा है। मैं आपको इस संबंध में सूचना दी है। वेद(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको मालूम है, कालिंग अटैन्शन नोटिस को ज़ीरो आवर से पहले प्रायॉरिटी मिलती है।

...(व्यवधान)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल : महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को दबाना चाहती है और बड़े-बड़े अधिकारियों को उसका संरक्षण प्राप्त है। वेद(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, कालिंग अटैन्शन नोटिस में केवल एक वक्ता है। मंत्री जी उनका उत्तर देंगे और 10-15 मिनट में बात खत्म हो जाएगी। फिर हम ज़ीरो आवर शुरू करेंगे और तब मैं आपको मौका दूंगा। अभी माननीय सदस्य श्री मिस्त्री को मैंने बुलाया है।

...(व्यवधान)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल : मान्यवर, यह कन्याओं से संबंधित मामला है, उनके यौन शोण से संबंधित मामला है। इस पर चर्चा करा ली जाए। वेद(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ज़ीरो आवर में आप बोलिये। मैं आपको सुनूँगा। प्लीज़ बैठिये। Now, we will take up the Calling Attention Notice.

...(Interruptions)

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Sir, we have given notices for raising the issue of unemployment. ...(Interruptions)